रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 772] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 25, 2018/कार्तिक 3, 1940
No. 772] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 25, 2018/KARTIKA 3, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 1068(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 197 और धारा 206ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 में, --

(I) नियम 28 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"किसी भी निम्न दरों पर आयकर की कटौती या आयकर की कटौती न करने के लिए प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन।"

28. (1) यथास्थिति, किसी भी निम्न दरों पर आयकर की कटौती या आयकर की कटौती न करने के लिए प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन, धारा 197 की उपधारा (1) के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप में प्ररूप संख्या 13 में, --

(i) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन किया जाएगा; या

(ii) इलैक्ट्रानिक सत्यापन कूट के माध्यम से किया जाएगा।

(2) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक डाटा के सुरक्षित कैप्चर और पारेषण के लिए तथा दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रक्रिया, प्ररूप और मानक अधिकथित करेगा तथा प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) प्ररूप 13 प्रस्तुत करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेख और पुन:प्राप्ति नीतियां तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।";

(।।) नियम 28कक में, --

(अ) उप-नियम (2) में, --

(क) खंड **(ii)** में, "जैसी भी स्थिति हो, अंतिम तीन की आय" शब्दों के स्थान पर "या यथास्थिति, अंतिम चार का प्राक्कलित आय" रखा जाएगा;

(ख) खंड **(iv)** में, "संदाय" शब्द के पश्चात् "स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रहण" अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ग) खंड **(v)** और खंड **(vi)** का लोप किया जाएगा;

(अ) उप-नियम (4), उप-नियम (5) और उप-नियम (6) के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(4) यथास्थिति, किन्हीं निम्न दरों पर कर की कटौती या कर की कटौती न करने के लिए उस व्यक्ति की सलाह के अधीन उत्तरदायी व्यक्ति को सीधे जारी किया जाएगा, जिसने ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन किया हो"

परंतु जहां कर की कटौती करने के लिए दायी व्यक्तियों के सौ से अधिक होने की संभावना है और आवेदन करने के समय ऐसा आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को निम्न दर पर कर की कटौती करने के लिए निम्न दर पर कर की कटौती करने के पश्चात् ऐसी आय या राशि को प्राप्त करने के लिए प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के संबंध में और उसमें नामित व्यक्ति के लिए ही विधिमान्य होगा और उपनियम (4) के परंतुक में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र उस व्यक्ति के संबंध में विधिमान्य होगा जिसने ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है।

(6) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक उपनियम (4) के अधीन और उसके परंतुक के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक अधिकथित करेंगे तथा प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक उक्त प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेख और पुन:प्राप्ति नितियां तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए भी उत्तरदायी।";

(III) नियम 28कख में,--

उपनिमय (2) में,--

(क) खंड (i) में अंत में "और" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ख) खंड (ii) में अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ग) खंड (iii) का लोप किया जाएगा;

(IV) नियम 37छ के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"धारा 206ग की उपधारा (9) के अधीन निम्न दरों पर कर संग्रहण के लिए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

37छ (1) धारा 206ग की उपधारा (9) के अधीन क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी द्वारा प्रमाणपत्र के लिए आवेदन इलैक्ट्रानिक रूप में प्ररूप 13 में,--

(i) डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन किया जाएगा; या

(ii) इलैक्ट्रानिक सत्यापन कूट के माध्यम से किया जाएगा।

(2) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक डाटा के सुरक्षित कैप्चर और पारेषण के लिए तथा दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रक्रिया प्ररूप और मानक अधिकथित करेगा तथा प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) प्ररूप 13 प्रस्तुत करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेख और पुन:प्राप्ति नीतियां तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी होगा'';

(V) नियम 37ज में,--

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:--

"(1) जहां निर्धारण अधिकारी का किसी व्यक्ति द्वारा नियम 37छ के उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति का विद्यमान और प्राक्कलित कर दायित्व निम्न दर पर कर संग्रहण को न्यायोचित ठहराता है, निर्धारण अधिकारी ऐसी निम्न दर पर कर संग्रहण के लिए धारा 206ग की उपधारा (9) के उपबंधों के अनुसरण में प्रमाणपत्र जारी करेगा;

(1क) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विद्यमान और प्राक्कलित कर दायित्व का अवधारण निर्धारण अधिकारी द्वारा निम्नलिखित पर विचार करते हुए किया जाएगा, अर्थात्:--

निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष की प्राक्कलित आय पर संदेय कर;

चार वर्ष की यथास्थिति, निर्धारित आय या विवरणी आय या प्राक्कलित आय पर संदेय कर;

अधिनियम और धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधीन विद्यमान दायित्व ;

नियम 37छ के उपनियम (1) के अधीन आवेदन करने की तारीख तक पूर्व वर्ष से सुसंगत, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अग्रिम कर संदाय, स्रोत पर कटौती किया गया कर और संग्रीहीत कर ।";

(ख) नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

(6) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक उपनियम (5) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया प्ररूप और मानक अधिकथित करेगा तथा प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) उक्त प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेख और पुन:प्राप्ति नितियां तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी होगा";

(VI) परिशिष्ट II, प्ररूप 13 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"प्ररूप सं. 13

(नियम 28 और नियम 37छ देखिए)

कर की कटौती न करने पर या निम्न दर पर कर की कटौती या संग्रहण के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 और/या धारा 206ग की उप-धारा (9) के अधीन प्रमाणपत्र के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

1. मैं..............निवासी..............यह अनुरोध करता हूं कि मुझे ऐसे आय/राशि के संदाय के समय, निम्नदर पर आयकर की कटौती न करने/कटौती करने के लिए प्राधिकृत है, मुझे आय/राशि संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को प्रमाणपत्र जारी किया जाए । ब्यौरे उपाबंध I पर विनिर्दिष्ट हैं।

और/या

मैं..............निवासी..............यह अनुरोध करता हूं कि मुझे ऐसे आय/राशि प्राप्ति के लिए प्रमाणपत्र जारी किया जाए :-

(i) निम्नदर पर आयकर की कटौती के पश्चात् जैसा कि मेरे पास संदत्त करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा मेरे पास नहीं है और जिनकी संख्या................से अधिक होने की संभावना है।

(ii) नियम 28ख में विनिर्दिष्ट व्यक्ति/व्यष्टि के लिए दिए गए इस आवेदन के अनुसार आयकर की कटौती के बिना/ब्यौरा उपाबंध- II पर विनिर्दिष्ट है।

और/या

मैं..............निवासी..............यह अनुरोध करता हूं कि यथास्थिति, मेरे खाते में ऐसी रकम या मुझसे प्राप्ति के विकलन के समय निम्न दर पर आयकर को संग्रहित करने के लिए प्राधिकृत विक्रेता/पट्टाकर्ता/अनुज्ञप्तिकर्ता को प्रमाणपत्र जारी किया जाए । ब्यौरा उपाबंध- III पर विनिर्दिष्ट हैं।

2. मेरे आय की विशिष्टियां और अन्य सुसंगत ब्यौरे निम्नलिखित हैं :	
(i) प्रास्थिति (व्यक्तिगत, हिंदू अविभक्त कुटुंब, फर्म, व्यष्टि निकाय, कंपनी आदि का कथन करें)	
(ii) आवासिक प्रास्थिति (निवासी/निवासी लेकिन सामान्यत: रहता नहीं / चाहे गये वर्ष के दौरान गैर-निवासी)	
(iii) स्थायी पता सं.	
(iv) ई-मेल आईडी	

(v) मोबाइल सं.	
(vi) अधिनियम और धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन विद्यमान दायित्व के ब्यौरे :-	

आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन दायित्व						
निर्धारण वर्ष	अग्रिम कर के संबंध में संदेय रकम	स्वत:निर्धारण कर के लिए संदेय रकम	रकम जिसके लिए धारा 156 के अधीन मांग की सूचना की तामील हो गई है किंतु संदत्त नहीं की गई है	कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता के रुप में संदेय रकम जो शोध्य हो गई थी किंतु संदत्त नहीं की गई	धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन संदेय रकम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
(vii) पूर्ववर्ती वर्ष, जिससे संदाय/प्राप्ति संबंधित है						
(viii) ऊपर (vii) में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्ष की प्राक्कलित कुल आय (कृपया पूर्ववर्ती वर्ष की कुल प्राक्कलित आय की संगणना अपलोड करे)						
(ix) (viii) में विनिर्दिष्ट कुल आय पर संदेय ब्याज सहित कुल कर						
(x) छूट के लिए दावाकृत आय का ब्यौरा और जिसमें (viii) की कुल आय सम्मिलित नहीं है (कृपया ऐसे छूट के दावे के लिए कारण देते हुए एक नोट अपलोड करे)						
(xi) आज की तारीख तक (vii) में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अग्रिम कर और कटौती किए गए/संग्रहीत कर के संदाय के ब्यौरे, यदि कोई हो						
पूर्व संदत्त् कर की प्रकृति	संदत्त कुल कर की रकम					
अग्रिम कर						
टीडीएस						
टीसीएस						
(xii) क्या धारा 10, धारा 11 या धारा 12 के अधीन छूट का दावा किया गया है (हां/नहीं) (यदि हां, तो कृपया आयकर प्राधिकारी						
(xiii) जहां (vii) में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्ष के पूर्व किन्हीं चार पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आय की विवरणी को फाइल किया गया है, कृपया पूर्ववर्ती वर्ष के कुल प्राक्कलित आय की संगणना अपलोड करें जिसके आय की विवरणी फाइल नहीं की गई है।						
(xiv) जहां किन्हीं चार पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आय की विवरणी पेपर फार्म में फाइल की गई है, कृपया ऐसे विवरणियों की प्रति अपलोड करें।						

मैं..........................यह घोषणा करता हूं कि जैसा ऊपर अभिकथित किया गया है वह मेरी जानकारी और विश्वास में सही, पूर्ण और सत्य है, मैं घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप में विनिर्दिष्ट आय/राशि अधिनियम की धारा 60 और धारा 64 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किये जाने योग्य नहीं है। मैं इसके अतिरिक्त यह घोषित करता हूं कि जो भी आवेदन में अभिकथित किया गया है, वह सही है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं................के रूप में अपनी सामर्थ्य में आवेदन करता हूं और मैं इस आवेदन को करने और इसको सत्यापित करने में सक्षम भी हूं। मैं स्थायी खाता संख्या ....धारित करता हूं (यदि आबंटित हो)।

तारीख हस्ताक्षर

स्थान पता

उपाबंध I

(स्रोत पर कटौती के प्रयोजन के लिए)

कृपया उन आय/राशि की बाबत, जिसके लिए प्रमाणपत्र की ईप्सा की गई है, नीचे दी गई विशिष्टियों में प्रस्तुत करें ---

क्रम सं.	संदाय करने वाले व्यक्ति की कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टीएएस) या स्थायी खाता संख्या (पीएएस)	वह धारा जिसके अधीन स्रोत पर कर की कटौती की जानी है	प्राप्त किए जाने वाले आय/राशि की प्राक्कलित रकम	कटौती की अनुरोधित दर (कृपया जहां शून्य कटौती अनुरोधित है, वहां 0 भरें)
1	2	3	4	5

उपाबंध II

(स्रोत पर कटौती के प्रयोजन के लिए)

कृपया उन आय/राशि की बाबत, जिनके लिए प्रमाणपत्र की ईप्सा की गई है, नीचे दी गई विशिष्टियों में प्रस्तुत करें। (कृपया नियम 20कक के उप-नियम (4) में परंतुक के अधीन जारी प्रमाणपत्र को न्यायोचित करने वाला एक नोट अपलोड करें)

क्रम सं.	वह धारा जिसके अधीन स्रोत पर कर की कटौती की जानी है।	प्राप्त किए जाने वाले आय/राशि की प्राक्कलित रकम	कटौती की अनुरोधित दर
1	2	3	4

उपाबंध III

(स्रोत पर कर संग्रहण के प्रयोजन के लिए)

कृपया उन संदेय रकमों की बाबत, जिनके लिए प्रमाणपत्र की ईप्सा की गई है, नीचे दी गई विशिष्टियों को प्रस्तुत करें।

क्रम संख्या	विक्रेता/पट्टाकर्ता/अनुज्ञप्तिकर्ता के कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (टी ए एस) या स्थायी खाता सं. (पी ए एस)	वह उप-धारा जिसके अधीन स्रोत पर कर संग्रहीत किया जाना है (कृपया नीचे दिए गए उप-धाराओं में सारणी के अनुसार विनिर्दिष्ट करें)	कटौती/संदत्त की जाने वाली प्राक्कलित रकम	संग्रहण का अनुरोधित कर
1	2	3	4	5

तारीख हस्ताक्षर

स्थान पता

[अधिसूचना सं.74/2018/फा.सं.370142/10/2018-टीपीएल]

डॉ. टी. एस. मपवाल, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए हैं और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1054(अ) तारीख 23 अक्तूबर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।